रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012025-260280 CG-DL-E-17012025-260280

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

No. 34]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2025/पौष 26, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2025/PAUSHA 26, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 05/2025- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. 38(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.िन 690 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) स्पष्टीकरण से संबंधित पैरा 4 में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, -
- (क) खंड (xxxv) को हटा दिया जाएगा;

454 GI/2025 (1)

- (ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- " (xxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए "विशिष्ट परिसर" से अभिप्रेत है.-
  - (क) ऐसा परिसर जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी 'होटल आवास' सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रति दिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; या
  - (ख) ऐसा परिसर जिसके लिए 'होटल आवास' सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च से पूर्व उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है; या
  - (ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है:":
- (ii) अनुबंध VI के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"अनुबंध VII

## पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा (खंड 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

- मैं/हम ......(पता).....पर पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष ......(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)..... के लिए 'विशिष्ट परिसर' होगा।
- इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

- 1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
  - 2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध VIII

## पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा (खंड 4(xxxvi) देखें)

	2	$\rightarrow$	0 0			• •						حمم، ح
	क्षेत्राधिकार	वाल	जाएसटा	प्रााधकर	ा क समक्ष	ापजाकर <b>ण</b>	ा कालए	् आवदन	करन वार	ल व्याक्त द्व	ारा पारसर व	ग
<u> </u>	20 - 2	0	<u> </u>					•				
पारसर	घोषित करने	ंका ध	वाषणा।									

•	C	•	
सद	भ	सख्या-	

दिनांक: -

- 1. मैं/हम ...... के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ......(पता)..... पर स्थित परिसर पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।
- 2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट: उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध IX

# ऑप्ट-आउट घोषणा

## (खंड 4 (xxxvi) देखें)

# होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

•	C	•	
सद	भ	सख्य	Т-

दिनांक: -

- 1. मैं/हम ...... (व्यक्ति का नाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ......(पता)..... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष .......(वाइवाइवाइ-वाइवाइ)...... के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।
- 2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध VII** में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन/एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

- 1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
  - 2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।"

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 -केन्द्रीय कर (दर) को सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2024- केन्द्रीय कर (दर), जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि 617(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 05/2025- Central Tax (Rate)

**G.S.R. 38(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 11/2017-Central Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in paragraph 4 relating to *Explanation*, with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2025,-
  - (a) clause (xxxv) shall be omitted;
  - (b) for clause (xxxvi), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(xxxvi) "Specified premises", for a financial year, means,-
    - (a) a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year, 'hotel accommodation' service having the value of supply of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent; or
    - (b) a premises for which a registered person supplying 'hotel accommodation' service has filed a declaration, on or after the 1st of January and not later than 31st of March of the preceding financial year, declaring the said premises to be a specified premises; or
    - (c) a premises for which a person applying for registration has filed a declaration, within fifteen days of obtaining acknowledgement for the registration application, declaring the said premises to be a specified premises;";
- (ii) after Annexure VI, the following Annexures shall be inserted, namely:—

"Annexure VII

#### OPT-IN DECLARATION FOR REGISTERED PERSON

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

### Note:

- 1. The above declaration, declaring the premises as a 'specified premises' for a Financial Year, shall be filed by a registered person on or after 1<sup>st</sup> of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
- 2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

**Annexure VIII** 

## OPT-IN DECLARATION FOR PERSON APPLYING FOR REGISTRATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a person applying for registration before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No .-

Date: -

- 2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note: The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure IX

#### **OPT-OUT DECLARATION**

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises as not a 'specified premises'.

Reference No .-

Date: -

- 1. I/We ....... (name of Person) do hereby declare that the premises at .......(address)..... shall not be a 'specified premises' for the Financial Year ......(yyyy-yy).......
- 2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises to be a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure VII.

Legal Name: -

GSTIN/ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

## Note:

1. The above declaration, declaring the premises as not a 'specified premises', for a Financial Year, shall be filed on or after 1<sup>st</sup> of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.

2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.".

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]
MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

**Note:** -The principal notification number 11/2017 -Central Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 07/2024-Central Tax (Rate) published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 617(E), dated the 8<sup>th</sup> October, 2024.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

## सं. 05/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 39(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पिठत एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1), (3) और (4) तथा धारा 20 के खंड (iii), (iv) और (xxv), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.िन 683(अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) स्पष्टीकरण से संबंधित पैरा 5 में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, -
  - (क) खंड (xxxv) को हटा दिया जाएगा;
  - (ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- " (xxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए "विशिष्ट परिसर" से अभिप्रेत है,-
  - (क) ऐसा परिसर जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी 'होटल आवास' सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रति दिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; या
  - (ख) ऐसा परिसर जिसके लिए 'होटल आवास' सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च से पूर्व उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है; या
  - (ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है;";

(ii) अनुबंध VI के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"अनुबंध VII

# पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा *(खंड 4(xxxvi) देखें)*

होटल आवास सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

को 'विशि	ोष्ट प	रिसर' घोषित करने की घोषणा।
	संदर्भ	िसंख्या-
	दिनां	
	1.	
		स्थित परिसर वित्तीय वर्ष(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ) के लिए 'विशिष्ट परिसर'
		होगा।
	2.	इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और
		बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम <b>अनुबंध</b> IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा
		दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।
	विधि	कि नाम: -
	जीए	सटीआईएन: -
	पैन न	•
	अधि	कृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
		कृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:
		न् ांकित पावती)
	् नोट:	·
	1.	किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, पंजीकृत व्यक्ति
		द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले
		दाखिल की जाएगी।
	2.	उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।
		अनुबंध VIII
		पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा
		(खंड 4(xxxvi) देखें)
	क्षेत्रा	धिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विशिष्ट
परिसर'	घोषि	त करने की घोषणा।
	संदर्भ	ो संख्या-
	दिनां	क: -
	1.	मैं/हम (व्यक्ति का नाम) ने एआरएन संख्या के तहत पंजीकरण के
		लिए आवेदन किया है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि(पता) पर स्थित परिसर
		पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।
	2.	इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम
		अनुबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर'
		नहीं है।
	विधि	क नाम: -
	एआ	रएन: -
	पैन न	नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट: उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध IX

# ऑप्ट-आउट घोषणा *(खंड 4 (xxxvi) देखें)*

होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

- मैं/हम ...... (व्यक्ति का नाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ......(पता)..... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष .......(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)...... के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।
- 2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध VII** में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन/एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

- िकसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
- 2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।"

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017 - एकीकृत कर (दर) को सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2024- एकीकृत कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र में सा.का.नि 619(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2025

#### No. 05/2025- Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 39(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 8/2017-Integrated Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (ii) in paragraph 5 relating to *Explanation*, with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2025,-
  - (a) clause (xxxv) shall be omitted;
  - (b) for clause (xxxvi) the following shall be substituted, namely:-
  - "(xxxvi) "Specified premises", for a financial year, means,-
    - (a) a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year, 'hotel accommodation' service having the value of supply of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent; or
    - (b) a premises for which a registered person supplying 'hotel accommodation' service has filed a declaration, on or after the 1st of January and not later than 31st of March of the preceding financial year, declaring the said premises to be a specified premises; or
    - (c) a premises for which a person applying for registration has filed a declaration, within fifteen days of obtaining acknowledgement for the registration application, declaring the said premises to be a specified premises;";
- (ii) after Annexure VI, the following Annexures shall be inserted, namely:-

"Annexure VII

#### OPT-IN DECLARATION FOR REGISTERED PERSON

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

- 2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

## Note:

- 1. The above declaration, declaring the premises as a 'specified premises' for a Financial Year, shall be filed by a registered person on or after 1<sup>st</sup> of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
- 2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

**Annexure VIII** 

## OPT-IN DECLARATION FOR PERSON APPLYING FOR REGISTRATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a person applying for registration before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No .-

Date: -

2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

**Note**: The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure IX

## **OPT-OUT DECLARATION**

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises as not a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

- 2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises to be a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure VII.

Legal Name: - GSTIN/ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

## Note:

- 1. The above declaration, declaring the premises as not a 'specified premises', for a Financial Year, shall be filed on or after 1<sup>st</sup> of January of the preceding Financial Year but not later than 31<sup>st</sup> of March of the preceding Financial Year.
- 2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.".

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

**Note:-**The principal notification number 8/2017 - Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification no. 07/2024- Integrated Tax (Rate) published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 619(E), dated the 8th October, 2024.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

## सं. 05/2025- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 40(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1) तथा धारा 21 के खंड (iv), (v) और खंड (xxvii), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि 702 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:- उक्त अधिसुचना में,-

- (i) स्पष्टीकरण से संबंधित पैरा 4 में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, -
- (क) खंड (xxxv) को हटा दिया जाएगा;
- (ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- " (xxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए "विशिष्ट परिसर" से अभिप्रेत है,-
  - (क) ऐसा परिसर जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी 'होटल आवास' सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रति दिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; या
  - (ख) ऐसा परिसर जिसके लिए 'होटल आवास' सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च से पूर्व उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है; या
  - (ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है;";
- (ii) अनुबंध VI के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"अनुबंध VII

# पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा (पैरा 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1.	मैं/हम	(व्यक्ति का नाम) य	ाह घोषणा करते हैं कि	(पता)		
	पर स्थित परिसर वित्ती	य वर्ष	.(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ	) के	लिए	'विशिष्ट
	परिसर' होगा।					

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

## नोट:

- 1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
- 2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध VIII

# पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा *(पैरा 4(xxxvi) देखें)*

क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक -

- मै/हम ...... के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ......(पता)..... पर स्थित परिसर पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।
- 2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध** IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट: उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध IX

# ऑप्ट-आउट घोषणा (पैरा 4 (xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

- 1. मैं/हम ......(व्यक्ति का नाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ......(पता)..... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष ......(वाइवाइवाइ-वाइवाइ)...... के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।
- 2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध VII में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन/एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

- किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
- 2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 - संघ राज्य कर (दर) को सा.का.िन. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2024- संघ राज्य कर (दर), जो भारत के राजपत्र में सा.का.िन 618(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2025

#### No. 05/2025- Union Territory Tax (Rate)

**G.S.R. 40(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification number 11/2017- Union Territory Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in paragraph 4 relating to *Explanation*, with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2025,-
  - (a) clause (xxxv) shall be omitted;
  - (b) for clause (xxxvi), the following clause shall be substituted, namely:-

"(xxxvi) "Specified premises", for a financial year, means,-

- (a) a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year, 'hotel accommodation' service having the value of supply of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent; or
- (b) a premises for which a registered person supplying 'hotel accommodation' service has filed a declaration, on or after the 1st of January and not later than 31st of March of the preceding financial year, declaring the said premises to be a specified premises; or
- (c) a premises for which a person applying for registration has filed a declaration, within fifteen days of obtaining acknowledgement for the registration application, declaring the said premises to be a specified premises;";
- (ii) after Annexure VI, the following Annexures shall be inserted, namely:-

"Annexure VII

#### OPT-IN DECLARATION FOR REGISTERED PERSON

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Rε	eferen	ce N	o

Date: -

- 1. I/We ....... (name of Person) do hereby declare that the premises at .....(address)..... shall be a 'specified premises' for the Financial Year ......(yyyy-yy).......
- 2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

	L	egal	Name:	_
--	---	------	-------	---

GSTIN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

15 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

## Note:

- 1. The above declaration, declaring the premises as a 'specified premises' for a Financial Year, shall be filed by a registered person on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.
- The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

**Annexure VIII** 

## OPT-IN DECLARATION FOR PERSON APPLYING FOR REGISTRATION

(See para 4(xxxvi))

D	eclaration by a person applying for registration before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.
Refere	nce No
Date: -	
1.	I/We
2.	Further, I/We understand the said declaration will apply to the subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.
Legal 1	Name: -
ARN:	_
PAN N	No.
Name	of Authorized Signatory:
Signat	ure of Authorized Signatory:
(Dated	acknowledgment)
Note:	The above declaration shall have to be filed separately for each premises.
	Annexure IX
	OPT-OUT DECLARATION
	(See para 4(xxxvi))
Decl	aration by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises as not a 'specified premises'.
Refere	ence No
Date: -	
1.	I/We
2.	Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises to be a 'specified

premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure VII.

Legal Name: -

GSTIN/ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

#### Note:

- 1. The above declaration, declaring the premises as not a 'specified premises', for a Financial Year, shall be filed on or after 1<sup>st</sup> January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.
- 2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.".

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

**Note:** -The principal notification number 11/2017 -Union Territory Tax (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 07/2024-Union Territory Tax (Rate)published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 618(E), dated the 8<sup>th</sup> October, 2024.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

## सं. 06/2025- केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 41(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

- (i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -
  - (क) क्रम संख्या 25क के समक्ष, कॉलम (3) में, जहां कहीं भी शब्द "पारेषण और वितरण" आते हैं, उनके स्थान पर "पारेषण या वितरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
  - (ख) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यायें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36ख	शीर्षक	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की	शून्य	शून्य"
	9971 या	धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर यान दुर्घटना		
	या शीर्षक	निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली वो बीमा सेवाएं		
	9991	जो बीमाकर्ताओं द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष		
		बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से योगदान के		
		विरुद्ध प्रदान की गयी हैं		